

## CCI ने मेटा पर जुर्माना लगाया

**स्रोत: एचटी**

हाल ही में **भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI)** ने **व्हाट्सएप की 2021 गोपनीयता नीति** अपडेट के माध्यम से अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के लिये मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।

- यह नर्णय व्हाट्सएप को वजिजापन उद्देश्यों के लिये अन्य **मेटा कंपनियों** के साथ **उपयोगकर्त्ता डेटा साझा करने से रोकता है** और यह अनविर्य करता है ककिसी भी डेटा साझाकरण के लिये उपयोगकर्त्ता की सहमतिप्राप्त की जानी चाहिए।
  - CCI ने पाया कव्हाट्सएप के 2021 नीतिअपडेट ने उपयोगकर्त्ताओं को **ऑप्ट आउट करने के वकिलप के बनिा वसितारति डेटा संग्रह शर्तों को स्वीकार करने के लिये मजबूर किया, जो प्रतस्पर्द्धा अधनियिम** के तहत एक अनुचति स्थति है।
  - नई नीतिसे वाणजियकि शोषण और राजनीतिक सूक्ष्म लक्ष्यीकरण को बढ़ावा मलि सकता है।
  - इस फैसले में व्हाट्सएप को डेटा साझा करने की प्रथाओं के संबंध में स्पष्ट स्पष्टीकरण देने का नरिदेश दया गया है, जसिसे उपयोगकर्त्ताओं के लिये पारदर्शति बढ़ेगी।
- व्हाट्सएप की नीति **शरीकृषण समति की रपिरट** के साथ भी वरिधाभासी है, जो **डेटा संरक्षण वधियक 2019** का आधार बनती है, जसिमें डेटा स्थानीयकरण और डेटा उपयोग को उसके मूल उद्देश्य तक सीमति करना शामिल है।
- **भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI)** एक वैधानकि नकिया है जो **प्रतस्पर्द्धा अधनियिम 2002** को लागू करने के लिये जमिमेदार है।

और पढ़ें: **व्हाट्सएप और गोपनीयता का उल्लंघन**